Dr. Uttam Kumar SRAP College, Barachakia Mob no-8210561032

Faculty -Commerce **Subject - Business Organisation** Class -2nd Semester Session-2023-27

यावक क्षम हिस्स

साझेदारी के अवगुण अथवा दोष (DEMERITS OR DISADVANTAGES OF PARTNERSHIP)

(DEMERITS OR DISADVANTAGES UF FOR SERVICE (DEMERITS OR DISADVANTAGES UF के अन्तर्गत किया जा सकता है—

- (I) वैद्यानिक अवगुण अथवा दोष (Statutory Demerits or Disadvantages)
- धानिक अवगुण अथवा दोष (Statutory Demerits or Disastrum) (1) जीवन एवं अस्तित्व का अनिश्चित होना (Indefinite Life and Existence)—साझेदारी का जीवन (1) जीवन एवं अस्तित्व का अनिश्चित होना है। किसी साझेदार की मृत्यु, पागलपन, दिवालिक के (1) जीवन एवं अस्तित्व का अनिश्चित होना (Indefinite Life and Dalacie), पाश्चारा की जीवन (1) जीवन एवं अस्तित्व का भूर्ण रूप से अभाव होता है। किसी साझेदार की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन हो जाती है। इसका मुख्य कारण साझेदारी और साझेदारों का क रहता है तथा इसमें स्थायित्व का पूर्ण रूप से अभाव होता हा किसा पारका कारण साझेदारी और साझेदारी अवकाश अवकाश ग्रहण करने से साझेदारी की समाप्ति हो जाती है। इसका मुख्य कारण साझेदारी और साझेदारी का अस्तित्व न होना है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि ''साझेदारियों का अधिक समय तक चलना कठिन है।'
- त्व न होना है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि साज्ञपारण (2) **हित हस्तान्तरण में कठिनाई** (Difficulty in Transfer of Interest)—साझेदार में कोई भी साझेदार कि (2) **हित हस्तान्तरण में कठिनाई** (Difficulty in Transfer of Interest) कर सकता है और न उसे बाजार की सभी साझेदारों की सहमति के अपना हित अथवा भाग का हस्तान्तरण नहीं कर सकता है और न उसे बाजार की सभी साझेदारों की सहमति के अपना हित अथवा भाग का हस्तान्तरण नहीं करते। संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी में हिन् सभी साझेदारों की सहमति के अपना हित अथवा भाग का हस्तान्तरण नल जर जाता के बाजार में हित का के सकता है। इस असुविधा के कारण लोग इसमें रुपया लगाना पसन्द नहीं करते। संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी में हित का के
- ापूर्वक किया जा सकता है। (3) साझेदारी <mark>की समाप्ति पर एवं बाद में भी दायित्व</mark> (Dissolution of Partnership and Liability) की अवस्था में किये गये कि (3) **साझेदारी की समाप्ति पर एवं बाद में भी दाायत्व** (Dissolution) wards)—साझेदारी में प्रत्येक साझेदार फर्म की समाप्ति पर भी उसकी साझेदारी की अवस्था में किये गये सभी wards)—साझेदारी में प्रत्येक साझेदार फर्म की समाप्ति पर मा उसका जालका । लिए उत्तरदायी रहता है। इतना ही नहीं अपितु समाप्ति की जन-सूचना (Public Notice) यदि वह जनता की नहीं के लिए उत्तरदायी रहता है। इतना ही नहीं अपितु समाप्ति का जन-सूचना (Fubric Figure 1) वह भी इसकी एक मुख्य के समाप्ति के बाद भी उसका दायित्व वही रहता है जो साझेदार होने की अवस्था में था। यह भी इसकी एक मुख्य के कमी है।
- (II) आर्थिक अवगुण अथवा दोष (Economic Demerits or Disadvantages)
- ाधिक अवगुण अथवा दाष (Economic Demons).—साझेदारों की संख्या सीमित होने के कारण क्रीं (1) पूँजी का सीमित साधन (Limited Sources of Capital)—साझेदारों की संख्या सीमित होने के कारण क्रीं (1) **पूजा का सामित साधन** (Limited Sources of Capital) जार की अपेक्षा अधिक होते हैं परन्तु अन्य व्यावसायिक स्व की अपेक्षा (जैसे—कम्पनी) साधन सीमित होते हैं।
- (2) **साख की सीमितता** (Limited Goodwill)—्साझेदारों की संख्या एवं पूँजी की सीमितता के कारण इन क्रि (2) साख का सामतता (Limited Goodwin)—जाराजा में किया कि अस कि साख कम्पनी के मुकाबले में कम होती है। अत: उन्हें इतना अधिक ऋण नहीं मिल पाता जितना कि अस कि (जैसे—कम्पनी) को। इसके अतिरिक्त, कणनी के तार्षिक हिसाब-किताब की जाँच होती रहती है और उसका प्रकाशन के पड़ता है। साझेदारी संस्था में ऐसा नहीं होता। यह भी साख सीमितता का प्रमुख कारण है।
- (3) अपव्यय (More Expenses)—एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी में अधिक अपव्यय होने की समान रहती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक साझेदार इस बात को जानता है कि खर्च का एक आंशिक भाग ही उन्हें वहन करना हो जबिक इस व्यय से अन्य संस्थाओं पर आसानी से अपना प्रभुत्व जमाया जा सकता है। धार्मिक संस्थाओं को बड़ीन धनराशियाँ दान दिलाकर 'दानवीर' कहलाया जा सकता है। इस प्रकार साझेदारी संस्था में व्यय के सम्बन्ध में यह काल चरितार्थ होती है—''मुफ्त का चन्दन, घिस रघुनन्दन, गहरे तिलक लगा बाबा।''
- (III) प्रवन्धकीय अवगुण अथवा दोष (Managerial Demerits or Disadvantages)
- (1) सदैव संघर्ष और मतभेद की सम्भावना (Friction and Conflict)—यह कहावत कि ''जहाँ चार बर्तन हो हैं, खटकते हैं'', साझेदारी पर पूर्ण रूप से लागू होती है। यही कारण है कि साझेदारी में सदैव साझेदारों के मध्य संबंधि मतभेद की सम्भावना बनी रहती है। कभी-कभी यें मतभेद भयंकर रूप धारण कर लेते हैं और आपस में तीव्र संघर्ष का कार बनते हैं। फिर जैसी कि कहावत भी है—''साझे की हँडिया चौराहे पर फूटती है।'' हैने के शब्दों में, ''इस व्यवस्था का स्के बड़ा दोष है संगठित संचालन की कमी और सबसे बड़ी समस्या है कि संचालन में सबके हितों में सामंजस्य पैदा करा।"

हारा जानानवम, 2006 का प्रावधाना साहत)

(2) असीमित उत्तरदायित्व के दोषों का होना (Unlimited Liability Demerits)—साझेटारी का एक प्रमुख टोष इसके सदस्यों के असीमित उत्तरदायित्व का होना है। व्यवसाय असफल होने की दशा में समस्त साझेटारों पर इसका बुरा प्रमाव पड़ता है क्योंकि साझेदारों को न केवल अपने व्यवसाय में विनियोजित पूँजी से हाथ धोना पड़ता है बिल्क अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी खोना पड़ता है। इसके कारण साझेदारों का साहस कम हो जाता है।

(3) संचालन में शिथिलता का भय (Fear of Slackness in Direction)—साझेदारी में साधारणतया समस्त साझेदारी को व्यवसाय में सिक्रय रूप से भाग लेने का अधिकार होता है, अतः जब तक साझेदारों में कार्य का उचित विभाजन न हो जाय, साझेदारी का कार्य कुशलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता और पग-पग पर कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं।

(4) श्रीघ्र निर्णय का अभाव (Lack of Quick Decision)—साझेदारों में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अर्थात् सभी कार्यों के लिए प्रत्येक साझेदार का परामर्श आवश्यक होता है। अत: कभी-कभी इस कार्य में इतना अधिक विलम्ब हो जाता है कि आया हुआ लाभ का सुअवसर हाथ से निकल जाता है। इस सम्बन्ध में अंग्रेजी की यह कहावत चिरतार्थ होती है—"Two many cooks may spoil the business broth." (अत्यधिक रसोइये व्यवसाय के रस को खराब कर सकते हैं।)

(5) आपसी फूट का दुष्परिणाम (Consequense of Mutual Conflict)—आपसी फूट होने की दशा में कोई भी साझेदार व्यवसाय सम्बन्धी गुप्त तथ्यों को अन्य पक्षों के सामने प्रकट कर सकता है। ऐसा करने से व्यवसाय को क्षित पहुँचने की आशंका रहती है। इस सम्बन्ध में 'घर का भेदी लंका ढावे' वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है।

निष्कर्ष—साझेदारी के लाभ-दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साझेदारी उस दशा में सर्वश्रेष्ठ है जबिक व्यवसाय का आकार मध्यम श्रेणी का हो तथा साझेदारों में परस्पर सहकारिता एवं सद्भावना विद्यमान हो।

अवैध साझेदारी

(ILLEGAL PARTNERSHIP)

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम (Indian Contract Act) की धारा 23 के अनुसार, ''कोई भी साझेदारी जो किसी अवैधानिक व्यवसाय के लिए स्थापित की गई हो अथवा जिसका उद्देशय गैर-कानूनी हो, व्यर्थ (Void) होती है। ''इस प्रकार की कोई भी साझेदारी निम्न परिस्थितियों में अवैधानिक होती है—

- (1) जिसके निर्माण का उद्देश्य अवैधानिक हो।
- (2) जिसका व्यवसाय जन-नीति (Public-Policy) अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो।
- (3) जिस साझेदारी में विदेशी शत्रु-राष्ट्र का व्यक्ति साझेदार हो।
- (4) साधारण व्यवसाय की दशा में 20 और बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की संख्या 10 से अधिक हो।

क्यों की भेर अलग गढ़ा।